न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जयपुर
न्याय आपके द्वारः—राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट 2018
बइजलास श्री नरेन्द्र कुमार मीना R.A.S.

राजस्व वाद सं0 208/2017

बृजमोहन पुत्र रामकिशोर जातिं महाजन निवासी टोडवाल भवन, गोविन्द नगर, पूर्व आमेर रोड जयपुर

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. नानगराम पुत्र छोटूराम जाति मीना निवासी मेदराजसिंहपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा घोषणा तरमीम दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 89,188 आर0टी0ऐक्ट सपठित
धारा 131,132,136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक 29.06.2018

वादी की ओर से दावा घोषणा तरमीम दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 131,132,136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मेदराजसिंहपुरा में साबिक खसरा नं0 386 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा के सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान खसरा नं0 225 रकबा 1.6700 हैक्टेयर कायम किया जाकर वर्तमान में वादी के खातेदारी पूर्वानुसार है तथा साबिक खसरा नं0 377/1रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के नवीन खसरा नं0 234 रकबा 0.85 हैक्टेयर प्रतिवादी सं0 2 के खातेदारी पूर्वानुसार अनुसार है। लेकिन सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान वादग्रस्त साबिक राजस्व नक्शे के विपरित नवीन खसरा नम्बर 225 के राजस्व नक्शे की तरमीम करते हुए वादी की खातेदारी भूमि को प्रतिवादी सं0 2 के खातेदारी खसरा नं0 234 के राजस्व नक्शे में शामिल करते हुए प्रतिवादी सं0 2 की भूमि का राजस्व नक्शा बढा दिया गया एवं वादी की भूमि का राजस्व नक्शा कम कर दिया गया, इसके अलावा वादी की भूमि में खसरा नं0 226 अनुसार रास्ता कायम करते हुए वादी की भूमि खसरा नं0 234 के नक्शे में शामिल कर दिया गया। उपरोक्त वर्णितानुसार वादी के खातेदारी रकबे के विरूद्ध राजस्व नक्शों की त्रूटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया, जो कि खसरा नं0 225 एवं खसरा नं0 234 तथा खसरा नं0 226 के राजस्व नक्शों की तरमीम वादी के हित अधिकार तक दुरूस्तनीय है तथा वर्तमान नक्शा साबिक कब्जे काश्त व अधिकारों के विपरित त्रूटिपूर्ण हैं।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने प्रकरण में बिन्दूवार तथ्यात्मक जवाब न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत प्रकरण में सेटलमेंट कार्यवाही में विवादित भूमियों के नक्शे की तरमीम त्रूटिपूर्ण होना तथा पक्षकारों के मौके कब्जे व अधिकारो के विपरित होना स्वीकार किया है, जिसके अनुसार साबिक व वर्तमान राजस्व नक्शे में भिन्नता होना जाहिर किया है तथा दौराने सुनवाई राजस्व लोक अदालत में पटवारी हल्का व प्रतिवादी सं0 1 ने वाद अनुतोष अनुसार दुरूस्तीकरण किया जाना उचित बताया है तथा प्रतिवादी सं0 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

उक्त प्रकरण के तथ्यों एवं राज्य सरकार प्रतिवादी सं0 1 के बिन्दूवार जवाब में विवादित नक्शों में साबिक नक्शों के विपरित त्रूटिपूर्ण होना कहा है तथा उभय पक्षों को उक्त प्रकरण में रिकार्ड ऑफ राईट्स के आधार सुनवाई किया गया, वादी की ओर से निवेदित तथ्यों व पत्रावली में अंकित कथनों सहित प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब पर मनन करने व वर्तमान व साबिक रिकार्ड दस्तावेजात का बगौर अवलोकन करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पंहुचते है, कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व नक्शों के अन्तर्गत तरमीम साबिक नक्शे व अधिकारों के विपरित त्रूटिपूर्ण है, जबकि पक्षकारों का खातेदारी रकबा समान रूप से है। जिससे विचाराधीन प्रकरण में इसी प्रकम पर निर्णित किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्व लोक अदालत में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय किया जाकर वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे एवं साबिक राजस्व नक्शे को मध्य नजर रखते हुए ग्राम मेदराजसिंहपुरा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 225 रकबा 1.6700 हैक्टयर के राजस्व नक्शे को पूर्वानुसार, साबिक खसरा नं0 386 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा के राजस्व नक्शे एवं रकबा बरारी अनुसार पुनः तरमीम कायम करने की घोषणा की जाती है एवं तदानुसार खसरा नं0 234 रकबा 0.85 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 226 के राजस्व नक्शे की तरमीम दुरूस्तीकरण का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि पारित निर्णय अनुसार वादी के कब्जे व उपयोग उपभोग में बाधा, दखलांदाजी व निर्माण नहीं करें। डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार को उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे दुरूस्तीकरण करने के आदेश दिये जाते है। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ को निर्णय एवं डिक्री की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत में सुनाया जाकर टंकित कराया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़,जयपुर